



राशनकार्ड

आवश्यक दस्तावेज

1. पुराना राशनकार्ड की प्रतिलिपि
2. परिवार मुखिया का पहचान आई.डी. प्रमाण
3. परिवार मुखिया का पते का प्रमाण
4. आधार कार्ड
5. बिजली पानी बिल (यदि हो तो)
6. गैस डायरी
7. मैरिज सर्टिफिकेट
8. बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र
9. मुखिया एवं पत्नी के माता/पिता का नाम एवं जन्म दिनांक
10. आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड रजिस्ट्रेशन संख्या (अनिवार्य)

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार से जुड़ी सभी योजनाएँ



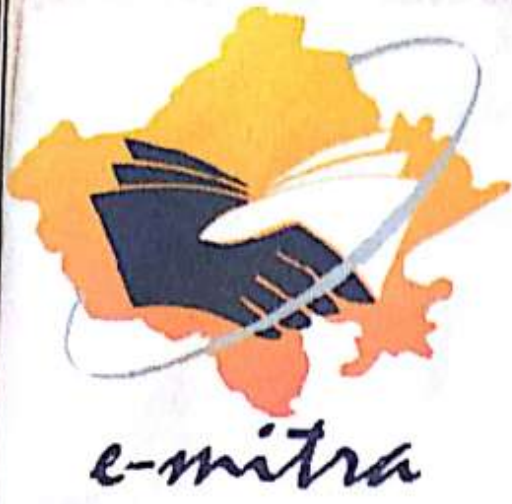
सहयोग योजना हेतु आवेदन आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदक का आधार कार्ड
2. भामाशाह कार्ड
3. आवेदक की फोटो
4. मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र
5. बैंक पासबुक की फोटो प्रति
6. बी.पी.एल. राशन कार्ड
7. बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र
8. विवाह प्रमाण-पत्र
9. लड़के व लड़की का आधार कार्ड एवं फोटो
10. लड़की का जन्म प्रमाण-पत्र या मार्कशीट
11. शपथ-पत्र

www.rajteachers.com

नोट :- विधवा पुत्री के लिये पति का मृत्यु
प्रमाण-पत्र आवश्यक।

राजस्थान सरकार से जुड़ी सभी योजनाएँ



जाति

प्रमाण पत्र

आवश्यक दस्तावेज

1. प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र फॉर्म पूर्ण भरा हुआ अनिवार्य
2. पासपोर्ट साइज फोटो – 2 (अनिवार्य)
3. राशन कार्ड, पहचान पत्र, शिक्षा के दस्तावेज, जन्मप्रमाण पत्र, मूल निवास, महिलाओं के लिये – पिता का जाति प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
4. पिता का जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र/पे-स्लीप आई.टी.आर./आधार कार्ड
5. आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड रजिस्ट्रेशन संख्या (अनिवार्य)

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार से जुड़ी सभी योजनाएँ



अंतरजातीय विवाह योजना

आवश्यक दस्तावेज

1. भामाशाह कार्ड
2. लड़के व लड़की का आधार कार्ड
3. लड़के व लड़की का जाति प्रमाण-पत्र एवं मूलनिवास प्रमाण-पत्र (विवाह से पूर्व)
4. विवाह प्रमाण-पत्र
5. लड़के व लड़की के ज्वॉइंट बैंक खाते की पासबुक (SBI या PNB BANK)
6. ज्वॉइंट फोटो
7. लड़के का आय प्रमाण-पत्र
8. लड़के व लड़की की 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण-पत्र
9. शपथ-पत्र, पेन-कार्ड

www.rajteachers.com

नोट :- सभी दस्तावेजों की मूल प्रति ही साथ लावें

राजस्थान सरकार से जुड़ी सभी योजनाएँ



रोजगार भत्ते के लिये आवेदन

आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड (मोबाईल नं. अपडेट होने चाहिए)
2. मूल निवास प्रमाण-पत्र
3. 10वीं की मार्कशीट
4. स्नातक की मार्कशीट
5. रोजगार पंजीयन कार्ड
6. भामाशाह कार्ड
7. SBI बैंक पासबुक, 1-फोटो

नोट :- सभी दस्तावेजों की मूल प्रति ही साथ लावें।



भामाशाह कार्ड हेतु आवेदन

आवश्यक दस्तावेज

1. प्रत्येक सदस्य की फोटो
2. प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड
3. महिला मुखिया की बैंक पासबुक
(अन्य सदस्यों की बैंक पासबुक यदि हो तो)
4. राशन कार्ड

नोट :- विधवा महिला के लिये पेशन
प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगों के लिये
विकलांगता प्रमाण-पत्र



रोजगार पंजीकरण

आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. भामाशाह कार्ड
3. 10वीं की मार्कशीट (यदि हो)

**SSO ID और GMAIL ID बनाने के
30 / – रुपये
चार्ज किये जायेंगे।**



पालनहार योजना

आवश्यक दस्तावेज

1. बच्चों के आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट होने चाहिए।
2. पेंशन प्रमाण-पत्र
3. भामाशाह कार्ड
4. आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड / वोटर आई डी कार्ड
5. स्कूल सत्यापन प्रमाण-पत्र
6. विकलांगता प्रमाण-पत्र
7. आय प्रमाण-पत्र (विकलांग / अनाथ बच्चों के लिये)

नोट :- आवेदक के आधार कार्ड में मोबाईल नंबर अपडेट होने चाहिए।



भामाशाह/PMGP

रेजगार सृजन योजना

आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड (जन्म तिथि पूरी होनी चाहिए)
2. मार्कशीट (यदि हो)
3. भामाशाह कार्ड
4. जाति प्रमाण-पत्र
5. बैंक डायरी
6. पासपोर्ट साइज फोटो

नोट :- आधार कार्ड में जन्म तिथि पूर्ण न होने की स्थिति में पेन कार्ड मान्य होगा।



PASSPORT

आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदक का आधार कार्ड
2. 10वीं की मार्कशीट
3. पेनकार्ड

उद्योग आधार एवं व्यापार पंजीकरण

आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड(उद्योग आधार के लिये अनिवार्य)
2. बैंक पासबुक
3. पेनकार्ड / वोटर आइडी / ड्राइविंग लाइसेंस / भामाशाह कार्ड

नोट :- आधार कार्ड के अलावा किसी भी ID से :
पंजीकरण बनवाने के लिये मूल ID ही
मान्य होगी।



मूल निवास

आवश्यक दस्तावेज

1. प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र फॉर्म पूर्ण भरा हुआ अनिवार्य
2. पासपोर्ट साइज फोटो (अनिवार्य)
3. 10 वर्षों का निवास प्रमाण-पत्र :- राशन कार्ड, मतदान सूची (2003, 2008, 2014 वर्तमान वर्ष) अनिवार्य
4. शिक्षा के दस्तावेज, जन्म प्रमाण-पत्र, परिवार के एक सदस्य का मूल निवास प्रमाण-पत्र
5. आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड रजिस्ट्रेशन संख्या (अनिवार्य)



नयी पेंशन आवेदन

आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदक का भामाशाह कार्ड
2. आय प्रमाण-पत्र
3. आधार कार्ड
4. बैंक पासबुक
5. विकलांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

नोट :- भामाशाह कार्ड में विधवा महिलाओं एवं विकलांग सदस्यों का प्रमाण उल्लेखित होना चाहिए।